प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 1547/एम0–एन0जी0टी वाद/2022 दिनांक 07 दिसम्बर, 2023

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 30.05.2023 एवं 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

.."14. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh is directed to file compliance report regarding compliance with aspects as directed in order dated 30.05.2023 within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF....."

विषयांकित मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के बिन्दु संख्या–53 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"53. In view of above discussion, CPCB and MoEF & CC are directed to look into the matter of categorization of Excavation of sand from the River Bed (excluding manual excavation) in red or orange category and issue appropriate Notification clarifying categorization thereof as red or orange category within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order. Till issuance of such Notification, river sand mining shall continue to be treated to fall in red category. However in whichever category- red or orange excavation of sand from the River Bed (excluding manual excavation) is so notified to fall, it shall be mandatory for all the Project Proponents to obtain CTE/CTOs from concerned SPCB/PCC and with effect from 01.09.2023 no river sand mining will be allowed to continue to operate in the entire India without obtaining consents from concerned SPCB/PCC and all the concerned Directors, Geology and Mining Department, the District Magistrates and the Commissioners/Superintendents of Police of the concerned Districts shall ensure that no such mining is continued/operative without obtaining CTE/CTO from concerned SPCB/PCC. MOEF&CC is also directed to issue appropriate guidelines/OM within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order for ensuring that the requirement of obtaining CTE/CTO from concerned SPCB/PCC is uniformly made applicable to all the river bed sand mining projects throughout India."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के बिन्दु संख्या–53 के अनुपालन हेतु निदेशालय के पत्र संख्या–1274/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2022 दिनांक 10.11.2023 (संलग्नक–1) द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषयांकित मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के बिन्दु संख्या–55 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"55. Cases have come to the notice of this Tribunal in which short term permits for sand mining in river bed/agricultural land have been issued by the District Magistrate in the

State of U.P. without environmental clearance by SEIAA in violation of direction given by the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar's case (Supra) and this Tribunal and therefore the Director, Geology and Mining Department, Uttar Pradesh is directed to ensure no such short term permits are issued without EC and strict compliance with statutory provisions, SSMG, 2016 and EMGSM, 2020, Environment Protection Act, 2016 environmental clearance/consent conditions and directions given by the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal is made by all the Project Proponents and to take action against all the Project Proponents who have not complied with the same. The UPPCB is directed to periodically inspect all mining lease sites in the State of Uttar Pradesh and monitor mining activities for verifying status regarding compliance with statutory provisions, SSMG-2016, EMGSM2020, Environment Act, 2016 and directions given by Hon'ble Supreme Court and this Tribunal and take appropriate remedial action."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के बिन्दु संख्या–55 के अनुपालन के सम्बन्ध में SSMG, 2016 के आलोक में निदेशालय के पत्र संख्या–1470 / एम0–एन0जी0टी0 वाद / 2023 दिनांक 05.12.2023 (संलग्नक–2) द्वारा प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को लिखा गया है।

विषयांकित मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के बिन्दु संख्या–57 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"57. The Director, Geology and Mining Department, U.P. and Member Secretary, UPPCB are also directed to file Compliance Reports regarding compliance with above referred aspects/directions as well as status report regarding action taken against the Project Proponent on or before 15.09.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. 58. UPPCB has filed interim application no. 592/2023 stating that UPPCB is unable to pay the honorarium and expenses to the amicus curie from the concerned fund and the same may be directed to be spent from environmental compensation fund."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के बिन्दु संख्या–57 के अनुपालन में जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा पत्र संख्या–236 / तीस–उपखनिज / 2023 दिनांक 19.09.2023 (संलग्नक–3) द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्या / एम0–एन0जी0टी वाद / 2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संलग्नक-1

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 1274 /एम0–एन0जी0टी वाद/2022 दिनांक 10 नवम्बर, 2023

विषयः–ओ0ए0 संख्या–176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 30.05.2023 को पारित आदेश के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैंः–

".....53. In view of above discussion, CPCB and MoEF & CC are directed to look into the matter of categorization of Excavation of sand from the River Bed (excluding manual excavation) in red or orange category and issue appropriate Notification clarifying categorization thereof as red or orange category within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order. Till issuance of such Notification, river sand mining shall continue to be treated to fall in red category. However in whichever category- red or orange excavation of sand from the River Bed (excluding manual excavation) is so notified to fall, it shall be mandatory for all the Project Proponents to obtain CTE/CTOs from concerned SPCB/PCC and with effect from 01.09.2023 no river sand mining will be allowed to continue to operate in the entire India without obtaining consents from concerned SPCB/PCC and all the concerned Directors, Geology and Mining Department, the District Magistrates and the Commissioners/ Superintendents of Police of the concerned Districts shall ensure that no such mining is continued/operative without obtaining CTE/CTO from concerned SPCB/PCC. MOEF&CC is also directed to issue appropriate guidelines/OM within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order for ensuring that the requirement of obtaining CTE/CTO from concerned SPCB/PCC is uniformly made applicable to all the river bed sand mining projects throughout India....."-

इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या 1232/एम–एन0जी0टी0 वाद/2022 दिनांक 31.10.2023 के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या G41904/सी–6/सा0–766/ओ0ए0–176/2022/2023 दिनांक 06.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time....."

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु अधिनियम की धारा–18 (1)(b) के अन्तर्गत जारी निर्देश दिनांक 22.09.2023 के अनुसार 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं कलस्टर में स्थापित खनन पट्टों को लाल श्रेणी एवं अन्य 05 हे0 तक के खनन पट्टों को

नारंगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–25 के अन्तर्गत उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया या किसी अभिक्रिया एवं व्ययन प्रणाली की स्थापना या उसमें विस्तार अथवा परिवर्तन अथवा संचालन हेतु राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसी प्रकार वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत किसी औद्योगिक संयंत्र की स्थापन एवं संचालन हेतु भी राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा–2(के) के अन्तर्गत औद्यौगिक संयंत्र के अन्तर्गत उद्योग या व्यापार जिससे वायु मण्डल में प्रदूषक उत्सर्जित हों सम्मिलित किया गया है।

अतः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु अधिनियम की धारा–18(1)(बी) के अन्तर्गत जारी निर्देश दिनांक 22.09.2023 के अनुपालन में नदी तल में उपलब्ध बालू/मौरंग/बजरी आदि की खनन प्रक्रियाओं/संक्रियाओं हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश दिनांक 22.09.2023 के अनुपालन में बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एच.02653/सी0–2/सा0–348/23 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा Sand riverbed mining from riverbed and its floodplains (exculuding manual excavation) सम्बन्धी वर्गीकरण को अंगीकृत किया गया है।''

अतः कृपया सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक 06.11.2023 व मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 एवं 17.10.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,
10/11/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्या /एम0–एन0जी0टी वाद/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संलग्नक-2

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्या 1570 /एम0–एन0जी0टी वाद/2023 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषयः– ओ0ए0 सं0–462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ओ0ए0 सं0–462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 **(संलग्नक–1)** का संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

....."8. In its report the Joint Committee has mentioned that the short term permit for a period of three months w.e.f. 13.03.2023 to 12.06.2023 was granted by the District Magistrate, Gonda without any requirement of environmental clearance from SEIAA and consent from UPPCB on the ground that the same was not made mandatory by the Mining Department. As per the directions given by the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal no sand mining irrespective of area size can be permitted without environmental clearance from SEIAA and consent from SPCBs/SPCCs. Question as to permissibility/validity of such short term permits without environmental clearance from SEIAA and consent from SPCB/SPCC arises in the present case and requires response from the concerned authorities/persons.

9. However, in view of the precautionary principle embodied in Section 20 of National Green Tribunal Act, 2010, we consider it appropriate to direct that till the next date of hearing fixed no short term permit for mining of minor mineral (sand, Morrum etc.) be granted in the State of Uttar Pradesh without EC from SEIAA and consent from UPPCB and without following Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 in this regard".....

2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एक अन्य ओ0ए0 संख्या–176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 **(संलग्नक–2)** के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:–

"55. Cases have come to the notice of this Tribunal in which short term permits for sand mining in river bed/agricultural land have been issued by the District Magistrate in the State of U.P. without environmental clearance by SEIAA in violation of direction given by the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar's case (Supra) and this Tribunal and therefore the Director, Geology and Mining Department, Uttar Pradesh is directed to ensure no such short term permits are issued without EC and strict compliance with statutory provisions, SSMG, 2016 and EMGSM, 2020, Environment Protection Act, 2016 environmental clearance/consent conditions and directions given

by the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal is made by all the Project Proponents and to take action against all the Project Proponents who have not complied with the same. The UPPCB is directed to periodically inspect all mining lease sites in the State of Uttar Pradesh and monitor mining activities for verifying status regarding compliance with statutory provisions, SSMG-2016, EMGSM2020, Environment Act, 2016 and directions given by Hon'ble Supreme Court and this Tribunal and take appropriate remedial action."

3. SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES-2016 के पृष्ठ सं0–58 पर प्राविधानित है कि (संलग्नक–3 प्रासंगिक– भाग) :–

"Removal of sand from the agricultural field by the owner farmer of the land from environment point of view will not be considered as mining operation and its removal and disposal can be allowed without the requirement of environment clearance till it is done only to the extent of reclaiming the agricultural land....."

उक्त गाइडलाइन्स के पृष्ठ सं0–72 पर "Exemption of certain cases from being considered as mining for the purpose of requirement of Environmental Clearance" अन्तर्गत क्रमांक–3 पर "3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers". उल्लिखित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु शासन स्तर पर विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

1000 संलग्नक-3

प्रेषक,

जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रांक 236/तीस–उपखनिज/2023 दिनांक: 19-9-,2023

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या 176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सख्या 1012/एम0–एन0जी0टी0– वाद/2022 दिनांक 12.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या 176 वर्ष 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में वर्तमान स्थिति तथा Project Proponent के विरूद्व की गयी कृत कार्यवाही की सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये है ।

उक्त के कम में तत्कालीन खान अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 17.05.2023 को प्रेषित आख्या एव प्रकरण में वर्तमान की अध्यतन स्थिति को सम्मिलित करते हुए बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:–

1– शासनादेश सं0 1875/86–2017–57(सां0)टी0सी0आई/2017 दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम् से उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली1963 के अध्याय–4 के अन्तर्गत खनन पट्टा स्वीकृत हेतु सा0वालू खनन क्षेत्र ग्राम कटरी सुनौढा तहसील बिल्हौर के रिक्त क्षेत्र हेतु विज्ञिप्त संख्या 985/तीस–उपखनिज /2017 दिनांक 03.11 2017 को विज्ञिप्त का प्रकाशन कराया गया। जिसमें सवोच्च वोली रू0 92–00 प्रति ध0मी0 की दर से मे0 वैष्णवी इन्टर प्राईजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह की रही। जिसके कम जमा आर्नेस्ट मनी रू0 34,12,500–00 व प्रथम वर्ष हेतु कुल रू0 1,93,20,000–00 जमा करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 36/तीस–उपखनिज /2018 दिनांक जनवरी,18,2018 द्वारा सहमति–पत्र(लेटर आफ इन्डेन्ट) जारी किया गया।

2– पट्टा धारक मे0 वैष्णवी इन्टर प्राईजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह के पक्ष में पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 सें जारी पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र संख्या 174 दिनांक 18 फरवरी 2018 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त शासनादेश सं0 1875/86–2017–57(सा0)टी0 सी0आई/2017 दिनांक 14.08.2017 ग्राम कटरी सुनौढा तहसील बिल्हौर के गाटा संख्या 02मि0 रकबा 10.5 हे0 का पट्टा धारक मे0 वैष्णवी इन्टर प्राईजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह निवासी एम0आईजी0–2 महाबलीपुरम कानपुर नगर के पक्ष में दिनांक 07.04. 2018 को पट्टा विलेख का निष्पादन कराया गया था।

3–भूतत्व एंव खनिकर्त निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ओदश दिनांक 29.04.2019 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन की जांच हेतु प्रवर्तन दल के अधिकारी के रूप में नामित श्री नरेन्द्र कुमार प्राविधिक सहायक (रसायन) को नामित किया गया। जिसके अनुपालन में उनके द्वारा की गयी जांच में प्राप्त जांच आख्या दिनाक 05.09.2019**(संलग्नक)** के अनुसार पट्टाधारक मे0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 नागेन्द्र सिंह द्वारा खनन क्षेत्र में 360 डिग्री सी0सी0टी0वी0 कैमरा न लगाये जाने पर नियम 59(3) का उल्लधंन किये जाने पर नोटिस स0 1434/तीस–उपखनिज/2019, दिनांक 08.05.2019 **(संलग्नक)** को निर्गत करते हुये रू–25,000.00/–की शास्ति आरोपित की गयी, जिसे पट्टाधारक द्वारा नोटिस में अकिंत धनराशि चालान सं0–ई 813231 दिनांक 08.05.2019**(संलग्नक)** को जमा किया गया।

4– उप जिलाधिकारी बिल्हौर की अध्यक्षता में तहसीलदार बिल्हौर मय क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2020 **(संलग्नक)**को उक्त वालू खनन पट्टे की जॉच की गयी, जिसमें पाया गया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र से लगभग 700 मी0 पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व ग्राम कटरी अटवा तहसील

बिल्हौर कानपुर नगर की है जो वर्तमान मे सपाट रूप मे बन्धा के रूप मे पाया गया। इस सपाट बन्धा के कारण खनन स्थल की ओर जाने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा से नदी उप शाखा मे जल का प्रवाह रूक गया है। इस सपाट बन्धा जिसकी ऊचाई गंगा नदी की उपशाखा के जल स्तर के समान थी। ग्रामीणो द्वारा बताया गया कि गंगा नदी मे वर्षा जल में पानी भर जाने से इस ओर पानी आ जाता है अन्यथा मुख्य धारा का प्रवाह इस ओर नही रहता है। गंगा नदी जल का प्रवाह रोकर 3 से 4 कि0मी0क्षेत्र तक बालू के टापू बनाकर साधारण बालू के खनन का कार्य नही किया जा रहा है। इस प्रकार गंगा नदी की मुख्य धारा में बन्धा बनाकर बालू खनन का कार्य नही होता पाया गया। मै0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में साधारण बालू का खनन कार्य किया जा रहा था। गंगा नदी की उपशाखा मे जल प्रवाह को सुचारू बनाये जाने हेतु सपाट बन्धा को हटवा दिया गया। सपाट बन्धा बनाने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार स्तर से थाना चौबेपुर में रिपोर्ट दी गयी।

5– जिसके उपरान्त उप जिलाधिकारी बिल्हौर की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2020**(संलग्नक)** के अनुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर गाटा स0 01मि0 के रकबा 5.4219 हे0 से लगभग 54219घनमी0 साधारण बालू का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसके कम मे अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कार्यालय पत्र स0–385/तीस–उपखनिज/2020 दिनांक 22.12.2020 **(संलग्नक)** द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत कर 15 दिवस में अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया।

6– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ द्वारा गठित सयुंक्त जॉच टीम की आख्या दिनाक 13.01.2021**(संलग्नक)** जिसमें उपजिलाधिकारी बिल्हौर के निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2020 एवं निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 14.1.2021**(संलग्नक)** के अनुसार मै0वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो. नागेन्द्र सिंह द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर गाटा संख्या 1मि0 में रकबा 5.4219हे0 क्षेत्रफल से 54219 घनमी0 बालू का अवैध खनन/परिवहन कर लिया गया था, जिसकी रायल्टी रू0–35,24,235.00, खनिज मूल्य रू0–1,76,21,175.00 (रायल्टी का पांच गुना) कुल रू0– 2,11,45,410.00(दो करोड़ ग्यारह लाख पैतालिस हजार चार सौ दस)रूप्ये मात्र एवं नियम–57 के अनुसार रू0–27,10,950.00(पांच लाख रूप्ये प्रति हेक्टेयर की दर से) अर्थदण्ड होता है। साथ ही दिनाक 11.01.2021 को निदेशक महोदया के निरीक्षण के दौरान पट्टेधारक के खनन क्षेत्र से 02 ओवरलोड वाहन पकड़ कर थाना विदूर की सुपुर्दगी में दिया गया, जिसमें प्रति वाहन उ0प्र0 उप खनिज(परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–59(6) के अर्न्तगत प्रत्येक चूक पर रू0–25,000.00 की दर से शास्ति रू0– 50,000.00 आरोजित किया गया। इस प्रकार पट्टेधारक पर कुल रू0– 2,39,06,360.00(दो करोड़ उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ) रूप्ये देयता बनी। उक्त के क्रम में पट्टाधारक मे0वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 नागेन्द्र सिंह, को कार्यालय पत्र स0 443/तीस–उपखनिज/2021 दिनांक 03.02.2021**(संलग्नक)** नोटिस निर्गत करते हुये स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर गाटा स0 01मि0 के रकबा 5.4219 हे0 से लगभग 54219 घनमी0 साधारण बालू का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन किये जाने एवं निरीक्षण दिनांक 11.01.2021 के दौरान साधारण बालू के 02 ओवरलोड ट्रकों को पकड़े जाने सहित कुल धनराशि रू0–2,39,06,360.00 राजकोष में 15 दिवस के अन्दर जमा करने एवं जमा न किये जाने तक खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया गया।

7– उक्त नोटिस के विरूद्व पट्टाधारक द्वारा शासन स्तर पर निगरानी स0–48(आर)/एसएम /2021 योजित की गयी थी, जिसे शासन द्वारा दिनांक 09.08.2021 को निरस्त कर निस्तारित किया गया।

8– जिसके उपरान्त पट्टाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका स0–18966/2021 मे0वैष्णवी इण्टरप्राइजेज द्वारा प्रो0 नागेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 22.09.2021**(संलग्नक)** के अनुपालन मे कार्यालय पत्र स0 443/तीस–उपखनिज/2021 दिनांक 03.02.2021 में अंकित धनराशि रू0–2,39,06,360 00 का 50 प्रतिशत रू0–1,20,00,000.00 चालान सं0–एकेवी 210012782 दिनांक 20.11.2019 को जमा किया गया एवं 50 प्रतिशत धनराशि की जमानत प्रस्तुत की गयी थी।

9– तत्कालीन खान निरीक्षक एवं तहसीलदार बिल्हौर की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 05.12.2021**(संलग्नक)** में पाया गया कि उपरोक्त खनन क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा क्षेत्र तक हाल रोड(कच्चा रास्ता गाड़ियो के आवागमन हेतु)बनाया गया, जिसके मापन में 10 मीटर चौड़ाव 145 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिट्टी को मशीन द्वारा काटकर नदी के किनारे–किनारे लम्बाई में मेड़ के रूप में रखा हुआ पाया गया। उपरोक्त आख्या के क्रम मे कार्यालय नोटिस स0–1058/तीस–उपखनिज/2021 दिनांक 09.12.2021**(संलग्नक)** द्वारा बिना अनुमति के रास्ता बनाने के कारण

रू–72,500.00/ का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये 03 दिवस के अंदर जमा करने अथवा अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पश्चात पट्टाधारक द्वारा उक्त धनराशि चालान सं0–एकेवी 210014180 दिनांक 09.12.2021 को जमा किया गया।

10–जिलाधिकारी महोदय के निर्देशो के अनुपालन में तत्कालीन खान अधिकारी, तहसीलदार बिल्हौर व ए0आर0टी0ओ0द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 31.05.2022**(संलग्नक)** में पट्टारथल पर पीटीजेड कैमरा न लगाये जाने के संबधं में आख्या प्रस्ततु की गयी, जिसके उपरान्त जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में तहसीलदार, अवर अभियन्ता कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नगर,कानपुर नगर एवं खान अधिकारी कानपुर नगर की संयुक्त टीम द्वारा पट्टेधारक द्वारा किये गये अवैध खनन की जांच करायी गयी। सयुंक्त जांच आख्या दिनांक 21.6.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा 769घनमीटर का अतिरिक्त खनन किया गया। जिसमें उपरान्त उप जिलाधिकारी बिल्हौर की आख्या एवं संयुक्त टीम की निरीक्षण आख्या दिनांक 21.06.2022. के क्रम में पट्टेधारक के विरूद्व कार्यालय पत्र स0–1532/तीस–उपखनिज/2022–23 दिनांक 10.08.2022 **(संलग्नक)** निर्गत कर कुल धनराशि रू–11,55,837.00/ जमा किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के विरूद्व पट्टाधारक द्वारा शासन स्तर पर निगरानी स0–95(आर)/एसएम/2022 योजित की गयी जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।

11–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्र सं0–1243/सा0–218 /22 दिनांक 05.12.2022 के क्रम में परियोजना प्रस्तावक/पट्टाधारक द्वारा संचालन की सहमति (सी0टी0ओ0) न प्राप्त किये जाने के कारण कार्यालय पत्र स0–1690/तीस– उपखनिज/2022 दिनांक 13.12.2022**(संलग्नक)** द्वारा खनन पट्टे का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया।

12–पट्टाधारक मैं0 वैष्णवी इण्टरप्राईजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह निवासी एम0आईजी0–2 महाबलीपुरम कानपुर नगर की पट्टा अवधि दिनांक 06.04.2023 को समाप्त हो चुकी है।

13– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा सिविल मिस0 रिट पिटीशन नं0 18966/2021 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023**(संलग्नक)** में श्री नागेन्द्र सिंह प्रो0 मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेस के विरूद्व जारी खनन प्रतिबन्धित आदेश दिनांक 14.01.2021, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किये गये अवैध खनन के नोटिस दिनांक 03.02.2021 एवं निगरानी संख्या–48 (आर)/एस0 एन0/2021 वैष्णवी इन्टरप्राईजेज द्वारा दाखिल निगरानी में पारित निर्णय आदेश दिनांक 09.08.2021 को सम्बन्धित प्रकरण में याचीकर्ता को जांच आख्या दिनांक 13.01.2021 उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अनुरोध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनाक 21.08.2023 के अनुपालन में याचीकर्ता को जांच आख्या दिनांक 13.01.2021 एवं उप जिलाधिकारी बिल्हौर द्वारा प्रेषित पत्र संख्या –446/एस0टी0दिनांक 12.12.2020 मय संलग्नक तहसीलदार की आख्या सहित नजरी नक्शा उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने हेतु श्री नागेन्द्र सिंह प्रो0 मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेस को कार्यालय पत्र सख्या 224/तीस–उपखनिज/2023 दिनांक 12.09.2023**(संलग्नक)**के द्वारा अपना स्पष्टीकरण 14 दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी(नगर),
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि–

जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(नगर),
कानपुर नगर।

प्राविधिक सहायक (रसायन0)
बदाँयू।

सेवा में,

जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

पत्रांक – मेमो / प्रर्वतन दल–खनिज /2019 दिनांकःमई, 05,2019

विषय--जनपद कानपुर नगर में किये गये प्रर्वतन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ0प्र0) खनिज भवन लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या 131/एम–प्रवर्तन/2019 दिनांक 29.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पंचम प्रर्वतन दल में रखते हुये जनपद–कानपुर नगर मे अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध प्रवर्तन कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा खान अधिकारी कानपुर नगर के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 03.05.2019 व 04.05.2019 को जनपद कानपुर नगर में भ्रमण किया गया जिसके अर्न्तगत कुल 95 वाहनों की जांच की गयी जिसमें 09 वाहन अवैध खनन/परिवहन करते हुये पाये गये जिन्हे मण्डी परिसर घाटमपुर में खडा कर, थाना घाटमपुर की सुर्पदगी दिया गया। उक्त के साथ–साथ यह भी अवगत कराना है कि जनपद में उपलब्ध बालू खनन पटटा क्षेत्र कटरी सुनौढा का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में स्थिति बालू खनन पटटा कटरी सुनौढा संचालित पाया गया बालू खनन क्षेत्र में सीमांकन दर्शाने के लिये लाल झण्डी लगी पाई गई साथ ही खनन क्षेत्र पर खनिज के मूल्य को दर्शाने वाला बोर्ड लगा पाया गया किन्तु बालू खनन क्षेत्र में खनन प्रक्रियाओं को मॉनिटरिंग करने हेतु सी0सी0टी0 कैमरा खराब पाया गया। इसी प्रकार जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर में एक मात्र मौरम खनन क्षेत्र समुही का निरीक्षण किया गया जो मौके पर बन्द पाया गया खनन से सम्बंधित कोई भी संक्रियाये नही पाई गई।

उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

N. Kumar 05/05/2019
(नरेन्द्र कुमार)
प्राविधिक सहायक(रसायन)
बदाँयू।

प्रतिलिपि – निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6/5/19

6/5/19

(नरेन्द्र कुमार)
प्राविधिक सहायक(रसायन)
बदाँयू।

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांकः–1434 / तीस–उपखनिज / 2019

दिनांकःमई,08 ,2019

मे0 वैष्णवी इन्टर प्राइजेज,
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
नि0 एम0आई0जी0–2 महाबलीपुरम,
जनपद कानपुर नगर।
पट्टाधारक बालू खनन क्षेत्र कटरी सुनौढा तहसील बिल्हौर

नोटिस

शासनादेश सं0–1875 / 86–2017–57(सा0)टीसीआई / 2017 दिनांक 14.08.2017 के अर्न्तगत आपके पक्ष में ग्राम कटरी सुनौढा गाटा संख्या– 2मि0 रकबा 10.5हे0 में साधारण बालू के खनन हेतु पॉच वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 06.04.2023 तक स्वीकृत है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ0प्र0) लखनऊ के कार्यालय आदेश दिनांक 29.04.2019 के द्वारा अवैध खनन / परिवहन की जॉच हेतु जनपद जालौन, झॉसी, कानपुर नगर / कानपुर देहात हेतु 01.05.19 से 10.05.2019 तक प्रवर्तन दल के अधिकारी के रूप में श्री नरेन्द्र कुमार प्राविधिक सहायक (रसायन) को नामित किया गया है कि जॉच आख्या दिनांक 05.05.2019 के अनुसार आपके स्वीकृत खनन क्षेत्र की जॉच में यह उल्लेख किया गया है कि बालू खनन पट्टा क्षेत्र कटरी सुनौढा का निरीक्षण किया गया जिसमें खनन पट्टा संचालित पाया गया बालू खनन क्षेत्र में सीमाकंन दर्शाने के लिये लाल झण्डी लगी पाई गई साथ ही खनन क्षेत्र पर खनिज मूल्य को दर्शाने वाला बोर्ड लगा पाया गया परन्तु बालू खनन क्षेत्र में खनन संकियाओ की मॉनिटरिंग हेतु लगे सी0सी0टी0 कैमरा खराब पाया गया।

सी0सी0टी0 कैमरा खराब पाया जाना उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के 35 (2) उल्लंघन है। जिसके लिये उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली के नियम 59 (3) के अर्न्तगत यदि पट्टा धारक नियम–35 के उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन रू0 25000 /– की शास्ती सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उदग्रहित की जायेगी। ऐसी उदग्रहित शास्ती को जमा करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कत के आरोप में तत्काल आरोपित धनराशि रू0 25,000 /– निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करते हुये चालान की एक प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे कि किन परिस्थियो में आप द्वारा सी0सी0टी0 कैमरे नही अनुरक्षित किये गये, अन्यथा आपके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वंय होगें।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि– तहसीलदार बिल्हौर को दो प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को नोटिस तामील कराकर कर तामीला की एक प्रति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
कानपुर नगर।

कोषागार प्रपत्र-209 (1) 1005

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 2

प्रपत्र संख्या - 8 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... SBI .... KNP (N)

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक) हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... प्रो० श्री नागेन्द्र सिंह
2. पता ....
3. पंजीकरण संस्था / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) .... जुर्माना C.C.T.V. चालू न होने के
4. जमा की जा रही धनराशि का विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) .... कारण - खनन
5. चालान की सकल राशि .... Rs 25000/=
6. चालान की निबल राशि ....
7. लेखाशीर्षक का पूरा विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर 0853
8. लेखा - शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीषक	उपमुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्योरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0853	00	102	00	01	25000/

8/5/19

(मुहर: कार्यालय जिलाधिकारी खनिज अनुभाग)

धनराशि (शब्दों में) .... पच्चीस हजार मात्र

योग 25000/-

चालान में लेख शीर्षक का पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ

8/5/19

चालान संख्या ....

दिनांक ....

E 813231

अंको में रू. ....

........शब्दों में रू. ....

प्राप्त किया हस्ताक्षर उपकोषागार / बैंक की मुहर सहित

महोदय,

1006

समाचार पत्र दैनिक जागरण मे प्रकाशित खबर दिनांक 06.12.2020 शीर्षक ''**गंगा की धारा मोड़ प्रवाह क्षेत्र में खनन**'' व **अटवा बन्दी माता घाट पर बालू निकालने को बन्धा लगाकर मोड़ दी गयी धारा** के कम में राजस्व टीम [redacted] के साथ मिलकर जांच की गयी।

जांचोपरान्त पाया गया कि राजस्व ग्राम कटरी सुनौढा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में साधारण बालू खनन हेतु मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह निवासी एम0आई0जी0–2 महाबलीपुरम कानपुर नगर के पक्ष में पंचवर्षीय खनन पट्टा दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक गाटा स0 2मि0 रकबा 10.500हे0 स्वीकृत हुआ। मे. वैष्णवी इण्टरप्राइजेज के कर्मचारीगण स्वीकृत एरिया में साधारण बालू का खनन करते पाये गये। साधारण बालू का खनन मशीनों द्वारा किया जा रहा है। खनन स्थल से गंगा की मुख्य धारा का प्रवाह लगभग 900मी0 दूर स्थित है। खनन स्थल पर बन्धा बनाकर साधारण बालू का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, वरन खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु रूके हुए जल में सामान्य रास्ता बना हुआ पाया गया। वास्तव में दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपे फोटो की स्थिति निर्धारित बालू खनन स्थल से लगभग 700मी0 पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व ग्राम कटरी अटवा तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की है, जो वर्तमान में सपाट रूप में बन्धा के रूप में पाया गया। इस सपाट बन्ध के कारण खनन स्थल की ओर जाने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा से बनी उपशाखा में जल का प्रवाह रूक गया है। इस सपाट बन्ध की वर्तमान में ऊंचाई गंगा नदी की उपशाखा के जल स्तर के समान है। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गंगा नदी में वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से इस ओर पानी आ जाता है। अन्यथा मुख्य धारा का प्रवाह इस ओर नहीं रहता है। गंगा नदी जल का प्रवाह रोककर 3 से 4किमी0 क्षेत्र तक बालू के टापू बनाकर साधारण बालू के खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार जांच से यह स्पष्ट है कि गंगा नदी की मुख्य धारा में बन्धा बनाकर बालू खनन का कार्य नहीं होता पाया गया। मेसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह निवासी एम0आई0जी0–2 महाबलीपुरम कानपुर नगर द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में साधारण बालू का खनन कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के अनुसार गंगा नदी की उपशाखा में जल प्रवाह को सुचारू बनाये जाने हेतु सपाट बन्धा का हटाया जाना उचित होगा।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही व निर्देश हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक– 1. स्थल के चित्र
2. स्थल की अवस्थिति के चित्र
3. वीडियो रिकार्डिंग की सी0डी0

07-12-2020	07/12/2020		7-12-20	07.12.20
क्षेत्रीय लेखपाल	राजस्व निरीक्षक चौबेपुर।	खान अधिकारी कानपुर नगर।	तहसीलदार बिल्हौर, कानपुर नगर।	उपजिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।

महोदय, आपके द्वारा दिये गये आदेश अनुपालन में राजस्व ग्राम कटरी अ[illegible]
तह० बिल्हौर कानपुर नगर में गंगा नदी के सपाट बन्धा को हटवा
दिया गया। सपाट बन्धा बनाने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दि०
8-12-20 को प्राथमिकी अंकित कराने की रिपोर्ट थाना चौबेपुर में
दी गयी। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

8-12-20
तह

कार्यालय उपजिलाधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर।

1007

पत्रांक-456 /एस0टी0-विविध/20 दिनांक-दिसम्बर 12 .2020

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (खनन)
कानपुर नगर।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि अधोहरताक्षरी द्वारा ग्राम सुनौढ़ा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में स्वीकृत खनन पट्टे के सम्बन्ध में खनन सीमा से अधिक या बाहर तो नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच हेतु तहसीलदार बिल्हौर के निर्देशन में दिनांक 10.12.2020 को राजस्व टीम गठित की गयी थी। जिसमें राजस्व टीम द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12.12.2020 को प्रेषित की गयी कि राजस्व ग्राम कटरी सुनौढ़ा में साधारण बालू खनन के सम्बन्ध में गाटा सं0 02मि0 रकबा 10.500हे0 भूमि का पंचवर्षीय पट्टा (दिनांक 07.04.18 से दिनांक 06.04.2023) वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 एम0आई0जी0 02 महाबलीपुरम कानपुर नगर को स्वीकृत हुआ है। राजस्व ग्राम कटरी सुनौढ़ा की.गाटा सं0 02मि0 रकबा 10. 500हे0 भूमि का सीमांकन जी0पी0एस0 तथा जरीब/गुनिया के सहयोग से किया गया। सीमांकन किये जाने से यह तथ्य प्रकाश में आये कि खनन गाटा सं0 01 में भी किया गया है। दिनांक 11.12.2020 को जांच के दौरान खनन गाटा सं0 01 पर किया जा रहा था, जो दिनांक 12.12.2020 को समतल करा दिया गया। खनन का विवरण निम्नवत है-

क0 सं0	गाटा सं0	खनन हेतु स्वीकृत रकबा	साधारण बालू के खनन का विवरण (घन फिट में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	01मि0	-	1914725घनफिट (54219 घनमीटर लगभग)	
2.	02मि0	10.500हे0	466153घनफिट (13200घनमीटर लगभग)	

कमांक 02 पर अंकित गाटा सं0 02मि0 रकबा 10.500हे0 में से 1.3200हे0 (466153घनफिट) साधारण बालू खनन स्वीकृत पट्टा में पाया गया, जोकि सही है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि गाटा सं0 02मि0 में से 10.500हे0 भूमि स्वीकृत साधारण बालू खनन हेतु में 1.500हे0 ही साधारण बालू खनन हेतु उपयुक्त है। शेष भूमि जलभराव एवं मिट्टी से युक्त है। गाटा सं0 01मि0 रेता के रूप में दर्ज अभिलेख है। इसी गाटा सं0 01मि0 में रकबा 5.4219हे0 (1914725घनफिट) का साधारण बालू का खनन मे0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 एम0आई0जी0 113 महाबलीपुरम कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अवैध रूप से किया गया है।

अतः गाटा सं0 01मि0 रकबा 5.4219हे0 (1914725 घनफिट) अवैध साधारण बालू का खनन मे0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0 113 एम0आई0जी0 महाबलीपुरम कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा किया गया है।

तहसीलदार बिल्हौर की आख्या की प्रति साथ में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

12.12.20
उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

7

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ।

उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कानपुर नगर

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांकः-305 / तीस-उपखनिज / 2020 दिनांकःदिसम्बर, 22 ,2020

मे0 वैष्णवी इन्टर प्राइजेज,
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
नि0 एम0आई0जी0-2 महाबलीपुरम,
जनपद कानपुर नगर।
पट्टाधारक बालू खनन क्षेत्र कटरी सुनौढा तहसील बिल्हौर

नोटिस

उपजिलाधिकारी बिल्हौर कानपुर नगर ने अपने पत्रांक-446 / एस0टी0-विविध / 2020 दिनांक 12.12.2020 द्वारा आख्या प्रस्तुत की है कि आप द्वारा ग्राम सुनौढा में संचालित / स्वीकृत साधारण बालू का खनन पटटा गाटा संख्या 2मि0 रकबा 10.5 है0 के अतरिक्त गाटा संख्या 01मि0 में 54219 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन / परिवहन किया गया है। आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के सुसंगत नियमो एवं पटटा विलेख की शर्तो का उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना पक्ष अभिलेखो सहित प्रस्तुत करें अन्यथा उपरोक्त आख्यानुसार किये गये अवैध खनन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
कानपुर नगर।

प्रतिलिप-
1-जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2-तहसीलदार बिल्हौर को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को तामीला उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
कानपुर नगर।

1009

निरीक्षण आख्या

निदेशक महोदया, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 के आदेश दिनांक 12.01.2021 के अनुपालन में जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर स्थित ग्राम कटरी सुनौढ़ा के गाटा संख्या 02मि0 रकबा– 10.50 हे0 के सा0बालू का खनन पट्टा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनाक 13.01.2021 सर्वेक्षक हमीरपुर, खान निरीक्षक कानपुर नगर ,खान अधिकारी मुख्यालय तथा जनपद कानपुर नगर के तहसीलदार बिल्हौर, राजस्व निरीक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल के साथ संयुक्त रूप से किया गया। आख्या निम्नवत है:–

1. जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढ़ा स्थित गंगा नदी के गाटा संख्या 02मि0 रकबा– 10.50 हे0 क्षेत्र, जो मे0 वैष्णवी इन्टर प्राईजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2 महावीर पुरम कानपुर नगर के पक्ष में दिनाक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक की अवधि हेतु स्वीकृत है, का संयुक्त सीमांकन पट्टा अनुबन्ध में दिये गये जियो कोआर्डिनेट्स के अनुसार किया गया तथा सभी सीमा स्तम्भों को मौके पर खान निरीक्षक कानपुर नगर व पट्टेधारक के प्रतिनिधि श्री के0डी0सिंह के समक्ष चिन्हित किया गया। (सीमांकन आख्या संलग्न)

2. यहां यह अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र का निरीक्षण पूर्व में उपजिलाधिकारी, बिल्हौर द्वारा दिनांक 11.12.2020 को भी किया गया था। उपजिलाधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2020 में 54219 घनमीटर अवैध बालू का खनन स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर होना पाया गया था जिसकी पुष्टि वर्तमान निरीक्षण में भी हुई। (उपजिलाधिकारी, बिल्हौर की निरीक्षण आख्या दिनांक 11.12.2020 की छायाप्रति संलग्न)

3. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा के अन्दर पट्टेधारक द्वारा मानसून सत्र के पश्चात किये गये खनन के कुल 08 पिट्स पाये गये,जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0सं0	औसत लम्बाई (मी0)	औसत चौड़ाई(मी0)	औसत गहराई(मी0)	खनिज की मात्रा (घ0मी0)
1	260	18.50	2.50	12025
2	280	43.25	2.50	30275
3	136	23.50	2.50	7990
4	112	32	2.50	8960
5	30	10	2	600
6	60	25	2.50	3750
7	40	30	2.50	3000
8	100	15	2.50	3750
कुल योग				70350

इस प्रकार स्वीकृत क्षेत्र में 70350 घनमीटर का खनन किया गया है।

4. अभिलेखों के अनुसार पट्टेधारक द्वारा वर्तमान पट्टा वर्ष (दिनांक 07.04.2020 से 06.04.20 तक) में कुल 1,26,465 घनमीटर साधारण बालू का खनन/परिवहन किया हुआ पाया गया है।

उपरोक्तानुसार आख्या निदेशक महोदया के समक्ष सादर प्रेषित है।

30/12/21
(वेद प्रकाश शुक्ल)
सर्वेक्षक

13.01.2021
(के0बी0सिंह)
खान निरीक्षक

13/1/21
(सुभाष रंजन)
खान अधिकारी

13-1-21
(अवनीश कुमार)
तहसीलदार

1010 ADM (F&R)

(आलोक तिवारी)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

संख्या : 1921 /एम–प्रवर्तन कानपुर नगर/2020 दिनॉक : 14 जनवरी, 2021

विषय : जनपद कानपुर नगर की तहसील बिल्हौर स्थित ग्राम कटरी सुनौढ़ा में स्वीकृत खनन पट्टे की जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशालय के आदेश दिनांक 12.01.2021 के अनुपालन में जनपद कानपुर नगर की तहसील बिल्हौर स्थित ग्राम कटरी सुनौढ़ा के गाटा संख्या 02मि0 रकबा–10.50 हे0 का संयुक्त निरीक्षण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की टीम एवं जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर के तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल के द्वारा किया गया। जॉच में पायी गयी अनियमितताओं तथा की जानी वाली कार्यवाही निम्नवत् है :–

1. क्षेत्र की पैमाइश पट्टा अनुबन्ध में दिये गये जियो कोआर्डिनेट्स के अनुसार की गयी तथा तद्नुसार सीमा स्तम्भों को चिन्हित किया गया। उक्त क्षेत्र का निरीक्षण पूर्व में उपजिलाधिकारी, बिल्हौर द्वारा दिनांक 11.12.2020 को भी किया गया था। उपजिलाधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2020 में 54219 घनमीटर अवैध बालू का खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर होना पाया गया था जिसकी पुष्टि वर्तमान निरीक्षण में हुई। उक्त 54219 घनमीटर अवैध बालू के खनन पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर को एम0एम0डी0आर0 एक्ट–1957 के नियम–21(5) के अन्तर्गत खनिज मूल्य तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–57 के तहत शास्ति की वसूली की जानी है।
2. खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा के अन्दर जाँच के दौरान कुल छोटे–बड़े 08 पिट पाये गये जिसका आंकलन टीम द्वारा किया गया। वर्तमान पट्टा वर्ष (07.04.2020 से 06.04.2021 तक) के लिये पर्यावरण अनापत्ति में खनन हेतु अनुमन्य मात्रा 2,10,000 के विरूद्ध पट्टाधारक द्वारा अब तक कुल 1,26,465 घनमीटर बालू का खनन किया हुआ पाया गया है।
3. बिन्दु संख्या–01 से सम्बन्धित समस्त देय धनराशि पट्टाधारक द्वारा जमा किये जाने तक खनन कार्य प्रतिबन्धित किया जाय।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रोशन जैकब)
निदेशक।

खनि0 / प्रभारी लिपिक

अधिकारी (वि0/रा0)
कानपुर नगर
16/1/21

1011

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक:–443 /तीस–उपखनिज/2021 दिनांक:03.02.2021

मे0 वैष्णवी इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम0आई0जी0–2
महाबलीपुरम कानपुर नगर

नोटिस

आपके पक्ष में तहरील बिल्हौर स्थित साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा संख्या–2मि0 रकबा 10.50हे0 में ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से 5 वर्षीय खनन पट्टा स्वीकृत था। आप द्वारा दिनांक 07.04.2018 को पट्टाविलेख का निष्पादन कराते हुये खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त खनन क्षेत्र का निरीक्षण निदेशक महोदया द्वारा दिनांक 11.01.2021 को किया था, जिसमें स्वीकृत खनन पट्टे के बाउण्ड्री के कोआर्डिनेट का सही चिन्हाकन न होने से क्षेत्र में हो रहे खनन की स्थिति का सही आकलन न हो पाने के कारण विस्तृत पैमाईश एवं खनन के सही आंकलन हेतु जॉच टीम का गठन किया गया था।

उक्त टीम द्वारा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति में क्षेत्र की पैमाईश पट्टा अनुबन्ध में दिये गये जियों कोआर्डिनेट्स के अनुसार की गयी तथा तदनुसार सीमा स्तम्भों को चिन्हित किया गया। उक्त क्षेत्र का निरीक्षण पूर्व में उप जिलाधिकारी, बिल्हौर द्वारा दिनांक 11.12.2020 को भी किया गया था। उप जिलाधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2020 में 54219 घनमीटर अवैध बालू का खनन/परिवहन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर गाटा संख्या–1मि0 से रकबा 5.4219हे0 क्षेत्रफल में होना पाया गया था, जिसकी पुष्टि जॉच टीम के निरीक्षण में हुई।

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–3, 57, 70 व खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 एवं पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लघंन है।

उप जिलाधिकारी बिल्हौर की आख्या दिनांक 12.12.2020 एवं निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 14.01.2021 के अनुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर गाटा संख्या–1मि0 में रकबा 5.4219हे0 क्षेत्रफल से 54219 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन/परिवहन कर लिया गया है, जिसकी रायल्टी रू0–35,24,235.00, खनिज मूल्य रू0–1,76,21,175.00 (रायल्टी का पांच गुना) कुल रू0–2,11,45,410.00 (दो करोड ग्यारह लाख पैतालिस हजार चार सौ दस रू0 मात्र) एवं नियम–57 के अनुसार रू0–27,10,950.00 (पॉच लाख रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से) अर्थदण्ड होता है। साथ ही दिनांक 11.01.2021 को निदेशक महोदया के निरीक्षण के दौरान आपके खनन क्षेत्र से 02 ओवरलोड वाहन पकड कर थाना बिठूर की सुपुर्दगी में दिया गया, जिसमें प्रति वाहन, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–59(6) के अर्न्तगत प्रत्येक चूक पर रू0–25,000.00 की दर से शास्ति रू0–50,000.00 आरोपित किया जाता है। इस प्रकार आप पर कुल रू0–2,39,06,360.00 (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू0) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त देय धनराशि रू0–2,39,06,360.00 (दो करोड उन्तालिस लाख छः हजार तीन सौ साठ रू0) नोटिस प्राप्ति तिथि से 15 दिवस के अन्दर जमा करें एवं समस्त देय धनराशि जमा किये जाने तक आपका खनन कार्य प्रतिबन्धित किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि–
1–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
2–जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3–क्षेत्राधिकारी बिल्हौर कानपुर नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–तहसीलदार बिल्हौर को दो प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को नोटिस तामील कराकर तथा तामीला की एक प्रति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0 रा)
कानपुर नगर।

Court No. - 19

Case :- MISC. SINGLE No. - 18966 of 2021

Petitioner :- M/S Vaishnavi Enterprises Thru. Prop. Nagendra Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru. Secy. Geology & Mining,Lko.& Ors.
Counsel for Petitioner :- Pushpila Bisht,Gagan Katyayan
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Jaspreet Singh,J.

Heard Sri J.N. Mathur, learned Senior Counsel assisted by Ms. Pushpila Bisht, learned counsel for the petitioner and Sri Rakesh Bajpai, learned counsel for the State-respondents.

By means of the instant petition, the petitioner assails the order dated 09.08.2021 passed in Revision No. 48 (R)/SM/2021 whereby the Revisional Authority has upheld the order dated 14.01.2021 passed by the Director, Directorate of Geology and Mining as well as the order dated 03.02.2021 passed by the District Magistrate/District Officer, Kanpur Nagar.

1012

The submission of learned Senior counsel for the petitioner is that in pursuance of the show cause notice dated 22.12.2020, the petitioner was called upon to reply within a period of 15 days regarding an alleged charge of illegal mining. It is submitted that the aforesaid show cause notice is based upon an inspection said to have been conducted by the Authorities on 12.12.2020, however, no notice of the same was given to the petitioner.

It is further been urged that later another inspection was made on 11.01.2020 which is followed by another inspection dated 13.01.2021. Taking note of the aforesaid, the respondent no. 2 passed the order dated 14.01.2021 holding that the charge of illegal mining against the petitioner was prima facie established and also directed the respondent no. 3 to pass appropriate orders restraining further mining in respect of the lease granted to the petitioner.

It is also urged that in furtherance of the order dated 14.01.2021, the respondent no. 3 has passed the order dated 03.02.2021 wherein it has relied upon the aforesaid inspections as mentioned above and an amount of Rs. 2,39,06,360/- have been found outstanding against the petitioner for illegal mining and the same was required to be deposited within a period of 15 days.

Being aggrieved against the aforesaid orders dated 14.01.2021 and 03.02.2021, the petitioner preferred a Revision before the State in terms of Rule 78 of the Uttar Pradesh Mining Mineral (Concession) Rules, 1963. It is further submitted that the Revision also came to be dismissed by means of order dated 09.08.2021.

The submission of learned Senior Counsel for the petitioner is that the order dated 03.02.2021 passed by the respondent no. 3 is primarily based on the order dated 14.01.2021 passed by the Director i.e. respondent no. 2. These two orders which were under challenge in the aforesaid revision was decided by the same person who was the Director. It is submitted that under the Rules of 1963, the revisional power is conferred upon the State to hear the Revision both against the orders passed by the District Officer as well as against the order passed by the Director.

It is in this view of the matter where the Revision was before the same person who as Director had passed the order dated 14.01.2021, hence, it was not appropriate for the said person to sit over its own order in Revision.

It has also been urged that the entire proceedings are based on the show cause notice dated 22.12.2020 which in turn is based on the inspection dated 12.12.2020. The petitioner has not been afforded adequate opportunity of hearing, inasmuch as, the inspection dated 12.12.2020 was behind their back. Moreover, their reply to the show cause has also not been considered.

It is also urged that the subsequent inspections were also not informed to the petitioner and even while passing the order dated 14.01.2021, no notice was issued especially when it was accompanied by evil consequences of prohibiting the petitioner to carry out the mining as well as the order dated 03.02.2021 which imposed a huge penalty for the alleged charge of illegal mining. It is in the aforesaid backdrop it is submitted that the manner in which the entire proceedings have been held are violative of principles of natural justice and arbitrary and thus requires interference.

Sri Bajpai, learned counsel appearing for the State-respondent submits that in so far as the inspection is concerned, it was on the instance of the petitioner, an application was moved on 16.12.2020 required demarcation to be done. The demarcation order was passed on 12.01.2021 in furtherance thereof the demarcation was actually done on 13.01.2021.

It is further urged that the aforesaid demarcation was done in

presence of the representative of the petitioner and moreover even adequate opportunity was granted to the petitioner while issuing a show cause notice dated 22.12.2020, it was open for the petitioner to have responded but since they did not respond to the same, accordingly, the State Authorities have proceeded. Once, it was found that the petitioner had indulged in illegal mining, the penalty for such act was calculated and in terms thereof the impugned order dated 03.02.2021 has been passed. The Revisional Court also noticed the same and did not find favour with the submissions of the petitioner, hence, accordingly, the revision was dismissed.

It has also been urged by Sri Bajpai that in so far as the issue of illegal mining is concerned it was established in the first inspection dated 12.12.200 which was also corroborated in the subsequent inspection held on 12.01.2020.

As far as the plea raised by the petitioner that Revision has been decided by the same Authority who was acting as the Director who had passed the order impugned dated 14.01.2021, it is submitted that in light of the decision of the Apex Court in the case of ***J. Mohapatra and Company and Another Vs. State of Orissa and Another*** reported in ***1984 (4) SCC 103***; ***P.T. Dinakaran Vs. Judges Inquiry Committee and Others*** reported in ***2011 (8) SCC 380*** and ***Union Of India and Others Vs. Vipan Kumar Jain and Others*** reported in ***2005 (9) SCC 579***, the said plea is not available.

It is urged that first and foremost the petitioner did not raise this issue before the Revisional Authority and therefore it amounts to waiver. It is further urged that by raising this plea for the first time in the Writ Petition and not before the Revisional Authority, it also indicates delay in raising the aforesaid plea and thus for all the reasons it is not sufficient to set aside the order simplicitor on the aforesaid plea.

Having heard the learned counsel for the parties and from the perusal of the record, apparently, the matter requires consideration.

In the aforesaid facts and circumstances, let the State file a counter affidavit within a period of two weeks. The petitioner shall have two weeks thereafter to file its rejoinder affidavit.

List this matter on ***08.11.2021***.

As a matter of interim protection, it is provided that in case if the petitioner deposits 50% of the amount and furnish a security for the remaining 50 % before the District Magistrate, Kanpur

Nagar within a period of three weeks, the impugned orders shall remain stayed.

Order Date :- 22.9.2021
Asheesh

Authenticated Copy
Mishra
24.9.2021
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court Lucknow Bench
Lucknow

1016

अपर जिलाधिकारी (नगर)

महोदय,

आज दिनांक 05.12.2021 को आपके साथ कटरी सुनौढ़ा परगना व तहसील बिल्हौर जनपद-कानपुर नगर की गाटा सं० 2 मि० बालू खनन क्षेत्र एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया गया साथ ही पट्टाधारक द्वारा किये गये बालू खनन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त खनन क्षेत्र के पट्टाधारक मैसर्स वैष्णवी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड जोगेन्द्र सिंह नि० 113 एम० आई० जी० महावीरपुरम, थाना-कल्याणपुर द्वारा खनन क्षेत्र तक हाल रोड (कच्चा रास्ता गाड़ियों के आवागमन हेतु) बनाया गया है, जिसका मापन किया गया, मापन में 10मीटर चौड़ा व 145 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिट्टी को मशीन द्वारा काटकर नदी के किनारे-किनारे लम्बाई में मेड़ के रूप में रखा हुआ पाया गया, जिसको देखने से उक्त मिट्टी को प्रश्नगत स्थान से बाहर परिवहन किया गया है, अथवा नहीं स्पष्ट नहीं होता है। बनाए गये रास्ते के अन्तिम छोर से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 500मीटर है। खनन क्षेत्र का भी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि खनन क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया है।

संलग्नक: ① नजरी-नक्शा

② फोटोग्राफ्स

लेखपाल 05-12-21 ग्रा. सुनौढ़ा

[signature] 05/12/21 लेखपाल कानूनगो

RK 5.12.21 RI-SAR

Bajpai नायब तहसीलदार 5/12/21

[signature] 05.12.2021 के० पी० सिंह खान निरीक्षक कानपुर-नगर

खान निरीक्षक आख्या अनुसार पत्रावली पर कार्यवाही कर समक्ष प्रस्तुत करें।

[signature] ACM (C) 05/12/21.

1017

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
(खनन अनुभाग)

पत्रांकः– 1058 / तीस–उपखनिज / 2021

दिनांकःदिसम्बर, 09 ,2021

मे0 वैष्णवी इण्टरप्राईजेज
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम0आई0 जी0–2
महाबलीपुरम थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर

नोटिस

संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 05.12.2021 के अनुसार आप द्वारा पट्टा खनन क्षेत्र तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा के गाटा संख्या–2मि रकबा 10.50हे0 में पहुचने हेतु हाल रोड (कच्चा रास्ता गाडियों के आवागमन हेतु) बनाया गया है, जिसका मापन किया गया। मापन में 10 मीटर चौडा व 145 मीटर लम्बा एवं एक फीट गहरा ऊपर की मिटटी को मशीन द्वारा काटकर नदी के किनारे–किनारे लम्बाई में मेड के रूप में रखा हुआ पाया गया।

आप द्वारा कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त रास्ता बनाये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नही की गई थी, जो अनधिकृत खनन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आप द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के धारा 4, 21 व उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58 का उल्लघंन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कृत्य के सम्बंध में नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अथवा किये गये अनाधिकृत खनन 145मी0 लम्बाई, 10मी0 चौडाई, कुल क्षेत्रफल 1450 वर्गमीटर (0.145हे0) का अर्थदण्ड रू0 72,500 / –(पॉच लाख रू0 प्रति हेक्टेयर) खनिज विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक ''0853'' में जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(नगर)
कानपुर नगर।

महोदय,

आज दिनांक 31/05/2022 को ग्राम सुनौढा तह० बिल्हौर जनपद कानपुर नगर मे स्थित बालू पट्टे का स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान राजस्व टीम के साथ थाना चौबेपुर की पुलिस टीम मय थानाध्यक्ष उपस्थित है पट्टे के क्षेत्र का गाटा सं 8मि० रकबा 10.5 हे० का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा पूर्व मे चिन्हांकन के दौरान स्थित पॉंच पोलो का निरीक्षण किया गया जिसका लॉगिट्यूड लैटिट्यूड गुगल मैप के अनुसार निम्नवत है-

	लैटिट्यूड	लॉगिट्यूड
पोल 1	26.684409	80.143899
पोल 2	26.686130	80.245654
पोल 3	26.684900	80.247079
पोल 4	26.682265	80.250356
पोल 5	26.677020	80.250456

बालू खनन उपरोक्त सीमाओ के अन्तर्गत पाया गया है। आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।

[signature]
सुनौढा
31-5-22
(कामता प्रसाद)

Subhash
31/05/22
रा० नि० चौबेपुर
(सुभाष वर्मा)

[signature]
T(B)
31/05/22

[signature]
31/05/22

सुपुर्दगीनामा 1019

थानाध्यक्ष चौबेपुर
कानपुर नगर।

महोदय,

अवगत कराना है कि आज दिनांक 31.5.2022 को तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुजौरा में संचालित साधारण बालू खनन पट्टे का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक के लाल मशीन के पास 05 ट्रक बालू से लदे हुए पाये गये। जिन पर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में वाहनों की जांच की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है —

क्र०	वाहन सं०	Emm-11 में अंकित बालू की मात्रा	वाहन में लोड बालू की मात्रा	पायी गयी अनियमितता
1	UP78FN 1508	$12m^3$	$15m^3$	Emm-11 पर अंकित मात्रा से $03m^3$ ज्यादा उपखनिज का परिवहन
2	UP78FN 7954	$12m^3$	$13m^3$	Emm-11 पर अंकित मात्रा से $01m^3$ ज्यादा उपखनिज का परिवहन
3	UP33AT 3692	—	$12m^3$	बिना परिवहन प्रपत्र के पायी गयी।
4	UP32KN 1225	—	$18m^3$	बिना परिवहन प्रपत्र के पायी गयी।
5	UP32FN 1378	—	$14m^3$	बिना परिवहन प्रपत्र के पायी गयी।

अतः उपर्युक्त वाहनों को मय उपखनिज के उनके सम्मुख अंकित अनियमितता के आरोप में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 72 के उल्लंघन में मा० न्यायालय/जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक आपकी अभिरक्षा में दिये जाते हैं।

बृजेश कुमार मौर्य
31/05/2022

(हस्ताक्षर) 31.5.2022
(के० बी० सिंह)
खान अधिकारी
कानपुर नगर।

1020

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

2354

1532 /तीस–उपखनिज

दिनांक 10,

मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज,
प्रो0 नागेन्द्र सिंह नि0–113, एम0आई0जी0–2
महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर।

नोटिस

आपके पक्ष में तहसील बिल्हौर स्थित साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा संख्या 2मि0 रकबा 10.50है0 में ई निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से 5 वर्षीय खनन पट्टा का पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 07.04.2018 को कराते हुये खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। आपको इस कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या 1460/तीस–उपखनिज/2022–23 दिनांक 27.06.2022, नोटिस संख्या 1469 तीस–उपखनिज/2022–23 दिनांक 05.06.2022 एवं नोटिस संख्या 1472/तीस–उपखनिज/2022–23 दिनांक 07.07.2022 निर्गत किया गया, जिसमें आप द्वारा दिनांक 29.06.2022, 07.07.2022 एवं 16.07.2022 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। आप द्वारा प्रस्तुत लिखित जबाव/पक्ष मनगढंत, एवं निराधार तथा तथ्यात्मक न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

संयुक्त जॉच टीम की आख्या दिनांक 21.06.2022 एवं खान अधिकारी कानपुर नगर के वाहन सुपुर्दगीनामा दिनांक 31.05.2022 तथा नोटिस संख्या 1472/तीस–उपखनिज/2022–23 दिनाक 07.07.2022 के अनुसार आप द्वारा किये गये 769 घनमीटर साधारण बालू के अतिरिक्त खनन रायल्टी रू0–49,985/–एवं खनिमुख मूल्य रू0–2,49,925/–तथा नियम–60(2) के अन्तर्गत शास्ति रू–50,000/– कुल धनराशि रू0–3,49,910/–, आपके पास 30 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नही थी। जिस पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(3) के अनुसार रू0–25000/– प्रति चूक 30 दिनो तक कुल रू0–25000×30=रू0–7,50,000/–(सात लाख पचास हजार रूपये) व दो वाहनो पर ई0एम0एम0–11 पर अंकित उप खनिज की मात्रा के सापेक्ष ज्यादा उपखनिज पाया जाने के कारण नियम–60(6) के तहत अर्थदण्ड रू0–50,000/– एवं तीन वाहनों पर लदे उपखनिज 44 घनमीटर साधारण बालू की धनराशि रू0 5,927/–(पट्टा क्षेत्र की वर्तमान दर रू0–134.70 प्रति घनमीटर की दर से), कुल धनराशि रू0–11,55,837/– की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 769 घनमीटर साधारण बालू के अतिरिक्त खनन रायल्टी रू0–49,985/–एवं खनिमुख मूल्य रू0–2,49,925/– तथा नियम–60(2) के अन्तर्गत शास्ति रू0–50,000/– कुल धनराशि रू0–3,49,910/– व पट्टाधारक के पास 30 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नही होने के कारण उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 60(3) के अनुसार रू0 25000/– प्रति चूक 30 दिनों तक कुल शास्ति–25,000×30=7,50,000/–(सात लाख पचास हजार रूपये) व दो वाहनों पर ई0एम0एम0–11 पर अंकित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा के सापेक्ष ज्यादा उपखनिज पाये जाने के कारण नियम–60(6) के तहत अर्थदण्ड रू0–50,000/– एवं तीन वाहनो पर लदे कुल उपखनिज 44 घनमीटर साधारण बालू की धनराशि रू0–5,927/– (पट्टा क्षेत्र की वर्तमान दर रू0–134.70 प्रति घनमीटर की दर से), कुल धनराशि रू0–11,55,837/– नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त धनराशि जमा प्रतिभूति से समायोजित कर ली जायेगी तथा आपके पक्ष में स्वीकृत पट्टा के निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(अतुल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (नगर),
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि–
1–जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2–तहसीलदार सदर को नोटिस दो प्रतियों में इस निर्देश से प्रेषित की एक प्रति उपरोक्त पर तामीला उपरान्त द्वितीय प्रति वापस कराना सुनिश्चित करें।

11/8/22

Nagendra Singh

अपर जिलाधिकारी

1021

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर।
(खनन अनुभाग)

पत्रांक– 1890 / तीस–उपखनिज / 2022 दिनांक: दिसम्बर 13, 2022

मैं0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज,
प्रो0 नागेन्द्र सिंह, निवासी–113, एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम,
कल्यानपुर, कानपुर नगर।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्र सं0–1243/ सा0–218/22 दिनांक 05.12.2022 में उल्लेखित किया गया है कि ''तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा सं0–2मि0 रकवा 10.50है0 में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस पत्र सं0–एच–85021/सी–2/एन0जी0टी0–ओ0ए0–176/22 दिनांक 02.12.2022 निर्गत किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, के आलोक में उक्त खनन परियोजना/पट्टाधारक के विरूद्ध नियमानुसार निषेधात्मक सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।''

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से जनपद के गंगा नदी तल स्थित तहसील बिल्हौर के ग्राम कटरी सुनौढा की गाटा सं0–2मि0 रकवा 10.50है0 साधारण बालू खनन क्षेत्र के पट्टा विलेख का निस्पादन दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 06.04.2023 (05 वर्ष) तक की अवधि हेतु तक आपके पक्ष में दिनांक 07.04.2018 को किया गया था। आपके के पक्ष में निस्पादित पट्टाविलेख की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं पट्टाविलेख की शर्तों का अनुपालन करना होगा। किन्तु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा जल एवं अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के साथ–साथ पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं पट्टाविलेख की शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र (सी0टी0ओ0) प्राप्त नहीं किये जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 7.12.2022 के क्रम में आपके खनन पट्टे का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
4. उपजिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।
5. खनन अधिकारी, कानपुर नगर।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
कानपुर नगर।

Court No. - 17

Case :- WRIT - C No. - 18966 of 2021

Petitioner :- M/S Vaishnavi Enterprises Thru. Prop. Nagendra Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru. Secy. Geology And Mining Lko.And Ors.
Counsel for Petitioner :- Pushpila Bisht,Gagan Katyayan
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Alok Mathur,J.

1. Heard Ms. Pushpila Bisht, learned counsel for the petitioner as well as learned Standing counsel on behalf of the respondents.

2. By means of the present petition the petitioner has challenged the order dated 3.2.2021 passed by District Magistrate/District Officer, Kanpur Nagar thereby imposing an amount of Rs.2,39,06,360/- as charges for illegal mining and penalty as well as order dated 9.8.2021 passed by the State Government in exercise of its revisional powers.

3. It has been submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner was granted mining lease on 7.4.2018 after obtaining all the clearances including the environmental clearance. On 6.12.2020 an inspection was carried out by Mining Officer, Kanpur Nagar, which submitted a report that petitioner No.1 carried out mining activities outside the area allotted to him and subsequently another inspection was carried out after few days wherein it was alleged that petitioner No.1 had carried out illegal mining of 5.4219 hectare outside the mining area. Accordingly show cause notice was issued on 22.12.2020 to the petitioner who submitted its reply with regard to the allegations of illegal mining outside the mining area. The petitioner submitted a belated reply on 1.2.2021 and denied the allegations leveled in the notice. Another inspection was carried out on 11.1.201. In the said inspection dated 11.1.2021 it was found that it was difficult to determine the mining site correctly and hence team was sought to be constituted. The team was accordingly constituted which conducted inspection on 12.1.2021 and submitted report on 13.1.2021. The said report was never communicated to the petitioner and merely on the basis of the report dated 13.1.2021 the District Magistrate/District Officer passed order dated 3.2.2021 holding that the petitioner had, in fact, conducted illegal mining in an

participated in the deliberations of the selection board when the claims of his rivals particularly that of Basu was considered. He was also party to the preparation of the list of selected candidates in order of preference. At every stage of this participation in the deliberations of the selection board there was a conflict between his interest and duty. Under those circumstances it is difficult to believe that he could have been impartial. The real question is not whether he was biased. It is difficult to prove the state of mind of a person. Therefore what we have to see is whether there is reasonable ground for believing that he was likely to have been biased. We agree with the learned Attorney General that a mere suspicion of bias is not sufficient. There must be a reasonable likelihood of bias. In deciding the question of bias we have to take into consideration human probabilities and ordinary course of human conduct. It was in the interest of Naqishbund to keen out his rivals in order to secure his position from further challenge. Naturally he was also interested in safeguarding his position while preparing the list of selected candidates."

12. In light of the above, this Court is of the considered opinion that the revisional order is illegal and arbitrary and hit by the vice of bias.

13. The second ground raised by the petitioner is that the Prescribed Authority prior to passing of the impugned order dated 3.2.23021 had got another inspection conducted on 12.1.2021 report of which was submitted on 13.1.2021which formed the basis of the order of imposition of cost and penalty for the alleged illegal mining done by the petitioner.

14. The petitioner has stated that the report dated 13.1.2021 was never supplied and consequently the petitioner was prejudiced in as much as the relevant documents were never supplied in absence of which the impugned order has been passed in gross violation of principles of natural justice.

15. This Court has perused the order of the Prescribed Authority from which it is evident that one of the materials for imposing the penalty upon the petitioner is the inspection report dated 13.1.2021. Even in the impugned order there is no averment that copy of the report dated 13.1.2021 was ever supplied and consequently there is no reason to disbelieve the stand of the petitioner. This ground was raised by the petitioner in the revision preferred before the State Government but despite raising this issue no finding has been returned by the revisional court nor the said ground has been considered.

16. In light of the above, both the impugned orders are set

aside. The matter is remitted back to the District Magistrate, Kanpur Nagar to pass fresh order after taking into account the reply submitted by the petitioner including the reply dated 3.2.2021 before passing any final order Copy of the inspection report dated 13.1.2021 should be handed over to the petitioner expeditiously say within one week from the date a certified copy of this order is produced before him. The petitioner shall have two weeks thereafter to file reply to the said inspection report and the District Magistrate is further direction to pass fresh order expeditiously say within a period of six weeks from the date of submission of reply by the petitioner in accordance with law.

17. In light of the above, the petition stand **allowed.**

Order Date :- 21.8.2023 **(Alok Mathur, J.)**
RKM.

Authenticated Copy
26.08.2023
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court Lucknow Bench
Lucknow

1025

कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक २२५ /तीस–उपखनिज/2023 दिनांकःसितम्बर 12 ,2023

श्री नागेन्द्र सिंह,
प्रो0 मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज,
निवासी 113 एम0आई0जी0–2
महावलीपुरम, कानपुर नगर।

कृपया आप द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित प्रार्थना पत्रों दिनांक 27.8.2023 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा सिविल मिस0 रिट पिटीशन नं0 18966/2021 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा सिविल मिस0 रिट पिटीशन नं0 18966/2021 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में श्री नागेन्द्र सिंह प्रो0 मे0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेस जांच आख्या दिनांक 13.01.2021 उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आदेश के अनुपालन में निदेशक भूतत्व खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ के आदेश दिंनाक 12.1.2021 के अनुपालन में तहसील बिल्हौर स्थित ग्राम कटरी सुनौढ़ा के गाटा संख्या 02मि0 रकवा 10.50हे0 के साधारण बालू का खनन पट्टा क्षेत्र का सयुंक्त निरीक्षण दिनांक 13.1.2021 सर्वेक्षक हमीरपुर, खान निरीक्षक कानपुर नगर, खान अधिकारी मुख्यालय तथा तहसीलदार बिल्हौर की आख्या दिनांक 13.1.2021 की प्रति एंव उक्त आख्या में उल्लखित उप जिलाधिकारी बिल्हौर की आख्या दिनांक 11.12.2020 जिसमें 54219घनमीटर अवैध बालू का खनन स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर होना पाया गया था जिसकी पुष्टि आख्या दिंनााक 13.1.2021 में की गयी थी, की प्रति मा0 न्यायालय के आदेश दिनाक 21.8.2023 के अनुपालन में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्त उललिखित आख्या दिंनाक 13.1.2021 एंव दिंनाक 12.12.2020 में उल्लखित अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 14 दिनो के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि मा0 उच्च उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2023 के अनुपालन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित किया जा सकें ।

संलग्नक– यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी(खनिज),
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि–
जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

प्रभारी अधिकारी(खनिज),
कानपुर नगर।

1- जांच आख्या दिनांक 13-1-2021
2- उप जिलाधिकारी बिल्हौर [illegible] पत्र संख्या 446/ST/AA/20 दिनांक 12-12-2020 एवं संलग्नक तहसीलदार की आख्या [illegible]/

उपरोक्त दोनों आख्या प्राप्त करती हूँ।

12/9/2023